न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 19/329

1. बाबूलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री मोहन सिंह जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कालू उर्फ रंगलाल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री मोहन जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रामचन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज श्री श्री मोहन जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. लक्ष्मीनारायण आयु 40 वर्ष आत्मज श्री मोहन जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. ओम प्रकाश आयु 23 वर्ष आत्मज श्री कालू जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राकेश आयु 22 वर्ष आत्मज कालू जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. रमेश आयु 20 वर्ष आत्मज श्री रामचन्द्र जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. कैलाशी आयु 45 वर्ष पत्नी कालूलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. गोमदी बाई आयु 30 वर्ष पत्नी तेजमल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. बसन्ती लाल आयु 35 वर्ष पुत्र श्री किशन लाल जाति माली निवासी ग्राम गांवडी तहसील देवली जिला टोंक ।
11. रामदेव आयु 50 वर्ष आत्मज कजोड जाति माली निवासी देवली गॉव तहसील देवली जिला टोंक ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 25 वर्ष आत्मज श्री परसा जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. हेमराज आयु 22 वर्ष आत्मज श्री परसा जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मीना आयु 20 वर्ष पुत्री श्री परसा जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

4. रामप्यारी आयु 45 वर्ष पत्नी श्री परसा जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. शोजी आयु 40 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. नन्द लाल आयु वयस्क आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. सीमा आयु वयस्क आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. कान्ता आयु वयस्क पत्नी श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 19/330

1. बाबूलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री मोहन सिंह जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कालू उर्फ रंगलाल आयु 48 वर्ष आत्मज श्री मोहन जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रामचन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज श्री श्री मोहन जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. लक्ष्मीनारायण आयु 40 वर्ष आत्मज श्री मोहन जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. ओम प्रकाश आयु 23 वर्ष आत्मज श्री कालू जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राकेश आयु 22 वर्ष आत्मज कालू जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. रमेश आयु 20 वर्ष आत्मज श्री रामचन्द्र जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. कैलाशी आयु 45 वर्ष पत्नी कालूलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. गोमदी बाई आयु 30 वर्ष पत्नी तेजमल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. बसन्ती लाल आयु 35 वर्ष पुत्र श्री किशन लाल जाति माली निवासी ग्राम गांवडी तहसील देवली जिला टोंक ।
11. रामदेव आयु 50 वर्ष आत्मज कजोड जाति माली निवासी देवली गॉव तहसील देवली जिला टोंक ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. शोजी आयु 40 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. नन्दाआयु वयस्क आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. सीमा आयु वयस्क आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती कान्ता आयु वयस्क पत्नी श्री रामदेव जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झौंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. सत्यनारायण आयु 25 वर्ष आत्मज श्री परसा जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. हेमराज आयु 22 वर्ष आत्मज श्री परसा जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोंपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. मीना आयु 20 वर्ष पुत्री श्री परसा जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. रामप्यारी आयु 45 वर्ष पत्नी श्री परसा जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. बरधी लाल आयु बालिग आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. श्रीमती रूकला बाई आयु बालिग पुत्री श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. श्रीमती मूर्ति बाई आयु बालिग पुत्री मांगीलाल जी जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. श्रीमती मनभर बाई आयु बालिग पुत्री श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. भंवर लाल आयु बालिग पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. बरधा आयु बालिग पुत्र स्व0 श्रीमती कुरी बाई जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
15. उरमा आयु बालिग पुत्र स्व0 श्रीमती कुरी बाई जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
16. श्रीमती धापू आुय बालिग बेवा श्री छोटू लाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
17. फोरन्ता आयु बालिग पुत्र स्व0 श्री छोटूलाल जाति माली निवासी ग्राम मालियों का झोपडा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मुकेश जोशी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 1, 5 से 8 दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांक: 18.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. अपील संख्या 19/329 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 8 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम मालियों की झौपडिया तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 2954 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी कम 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 2953 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2055 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी कम 01 से 5 व प्रार्थी कम 6 व 7 के पिता व प्रार्थी संख्या 08 के पति रामदेव की सहखातेदारी में दर्ज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि के सहखातेदार रामदेव की मृत्यु हो गयी है रामदेव के वारिस प्रार्थी कम 6 से 8 हैं । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता व दादा मांगीलाल ने अपने पिता छोगा जी से अलग होने के बाद स्वयं अपनी निजी आय से अर्जित की है । उक्त भूमि को मांगीलाल ने पडत से फाड कर काबिज काश्त बनाया है । उक्त भूमि मांगीलाल को आवंटित की थी । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से ताकत के बल पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे दौरोने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में दखलन्दाजी नहीं करें, भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करें एवं प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अपील संख्या 19/330 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम मालियों की झौपडिया तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 2953 रकबा 03 बीघा 08 एवं खसरा नम्बर 2955 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल 02 किता कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 2954 में रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि को लगभग 55 वर्ष पूर्व छोगा जी, मोहनलाल तथा मांगीलाल जी तीनों ने मिलकर फाडी थी तथा तीनों ने मिलकर उक्त भूमि को काबिज काश्त बनाया था । उक्त भूमि फाडे जाने के 3–4 वर्ष बाद छोगा जी ने मौखिक बंटवारा कर दिया था । उक्त भूमि का बंटवारा होने के पश्चात् से ही वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । मांगीलाल जी ने उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली जबकि वादीगण उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर पिछले 52–53 वर्षो से अपने पिता के समय से ही काबिज चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दौराने वाद पाबन्द करावें । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

6. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से भारग्रस्त न करें व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.2019 से अपील संख्या 19/330 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 40/18 को खारिज कर दिया एवं अपील संख्या 19/329 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 50/19 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में दोनों प्रार्थना पत्र संख्या 40/18 एवं 50/19 में पारित निर्णय के खिलाफ न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपील संख्या 19/329 एवं 19/330 प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने अपीलान्ट के विरूद्ध

एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं जो इनके पिता मांगीलाल ने निजी आय से अर्जित की है जिस पर अपीलान्ट कब्जा करने पर आमादा है इसलिए उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे जब कि अपीलान्ट ने यह जवाब दिया था कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के पितामह छोगा जी, मोहनलाल एवं मांगीलाल ने 55 वर्ष पूर्व फाडा था और काबिज काश्त बनाया था । छोगा जी ने भूमि का विभाजन भाईयों के मध्य कर दिया था और दोनों के वारिसान अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहे । अपीलान्ट द्वारा भूमि पर कुआ खुदवाया गया, मकान बनवाया गया व मकान पर बिजली का कनेक्शन भी लिया गया तथा 55 वर्ष से लगातार भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । अपीलान्ट के द्वारा इस आशय का एक दावा भी पेश किया गया था और उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट ने जो दस्तावेज पेश किये थे उनसे अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित था फिर भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अपीलान्ट ने पिलाई की रसीदें, खसरा परिवर्तनशील की नकलें कब्जे के प्रमाण में पेश की हैं जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का मकान बना होना स्वीकार किया है जिस पर अपीलान्ट ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है फिर भी अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना है । पक्षकारों के मध्य अचल सम्पत्ति का वाद विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में दावे के निस्तारण तक कब्जे की यथास्थिति बनाये रखे जाना आवश्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2019 (3) पेज 2255, एआईआर 2019 (एससी) पेज 3827, एआईआर 1989 (एससी) पेज 1809, आरएलडब्ल्यू 2006 (1) पेज 567 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी आवंटित हुई थी । खसरा परिवर्तनशील आवंटन से पूर्व का है । किसी के खाते की आराजी के लिए खसरा परिवर्तशील तैयार नहीं किया जाता है । अपीलान्ट ने आवंटन आदेश को चैलेंज नहीं किया है । । अपीलान्ट का मकान रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी में नहीं है । अपीलान्ट ने जो बिजली कनेक्शन लिया है वो भी रेस्पोडेन्ट की आराजी में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। रेस्पोडेन्टगण खातेदार कृषक हैं जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रेस्पोडेन्ट की आराजी पर अपीलान्ट के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एफआईआर संख्या 54/18 दर्ज करवायी गई जिसमें चार्जशीट प्रस्तुत की गई है जिससे बचने के लिए अपीलान्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । फौजदारी प्रकरण के बयाने से राजस्व न्यायालय अपने निर्णय का आधार नहीं बन सकता है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 बहाल रखे जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2006 (2) आरआरटी पेज 1410, आरआरटी 2016 (2) पेज 1323, 2011 (2) आरआरटी पेज 1165, 2011–12 सप्ली. पेज

662, आरआरटी 2014 (1) पेज 720, आरआरटी 2014 (1) पेज 523, आरआरटी 2013 (2) पेज 828, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, 2011–12 आरआरटी सप्ली0 पेज 217, आरआरटी 2013 (1) पेज 123 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार 02 किता की 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 में नया खाता संख्या 129 में खसरा नम्बर 2954 में 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खाते में दर्ज है । रिपोर्ट तहसील की संलग्न की गई है जिसके अनुसार आराजी मौके पर पडत पडी हुई है । पास बुक की फोटो प्रति, एफ0आई0आर की फोटो प्रति, परित्याग पत्र की फोटो प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 की फोटो प्रति संलग्न हैं ।

13. अपील संख्या 19/330 की पत्रावली पर विद्युत विभाग के बिल की फोटोप्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 129 में खसरा नम्बर 2954 की रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि सत्यनारायण ना0बा0 हेमराज व अन्य के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 110 में खसरा नम्बर 2953 एवं 2955 की 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि रामदेव पि0 मांगीलाल एवं अन्य के संयुक्त खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028–47, रसीदों की फोटो प्रतियॉ एंव नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 की फोटो प्रति, पासबुक एवं एफआईआर की फोटो प्रति, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव कुछ फोटोग्राफ्स संलग्न हैं ।

14. इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि यह आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में तो दर्ज है परन्तु इस पर अपीलान्ट एवं उनके पूर्वजों का कब्जा रहा है। अपीलान्ट ने अपने कब्जे के समर्थन में कुछ चालान की फोटो प्रतियॉ, कुछ खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रति व धारा 91 के नोटिस की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं । जहॉ तक खसरा परिवर्तनशील और धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस एवं उसके तहत जमा राशि का प्रश्न है यह नोटिस सिवायचक आराजी बाबत् दिये जाते हैं न कि किसी के खाते में दर्ज आराजी के लिए । जब आराजी सिवायचक दर्ज रही होगी तब अपीलान्टगण का बहैसियत अतिक्रमी कब्जा रहा होगा परन्तु हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है और पटवारी हल्का की जो रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है उसके अनुसार मौके पर आराजी पडत पडी हुई है कोई फसल नहीं है । विद्युत कनेक्शन में खसरा नम्बर अंकित नहीं है । खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2014 (1) पेज 720, 2011–12 आरआरटी सप्ली0 पेज 217, आरआरटी 2014 (1) पेज 523 यहॉ चस्पा होती हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र

स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 19/329 एवं अपील संख्या 19/330 खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 बहाल रखे जाते हैं ।

16. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा